



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:-प-14(9)जविप्रा/संस्था/2021

दिनांक 16-3-2021

-: कार्यालय आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प-17(20)नविप्रा/नियम/2019 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, 2015 की धारा 24 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 26 के अनुसरण में अपील प्राधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किये गये हैं:-

क्र.स.	स्थानीय निकाय	सक्षम प्राधिकारी	अपील अधिकारी
1.	विकास प्राधिकरण	उपायुक्त	आयुक्त

प्राधिकरण में उक्त आदेश के तहत कार्यवाही के लिए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बी.पी.सी.-बी.पी.), जविप्रा, जयपुर को तुरन्त प्रभाव से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

Sd/-
(हृदेश कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी-I/II/वित्त/विधि/नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अति.आयुक्त (प्रशासन/पी.आर.एन. एवं पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बी.पी.सी.-बी.पी.), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन-1 से 14/पी.आर.एन.(उत्तर-I/II/दक्षिण-I/II), जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को प्राधिकरण वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. रक्षी पत्रावली।

Sd/-
(अवधेश सिंह)
अति.आयुक्त (प्रशासन)

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2572515) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7015} : फैक्स - +91-141-2574555

D:\Ashok ji\Ashok ji folder 2021\Sohan Folder 2021\General Order.sohan lal saraswat 2021.doc